

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

2021  
16

पत्रावली संख्या 95 तारीख दायर 19.1.22 दिनांक निर्णय 27-1-22  
2022

उनवान

रिपोर्ट पटवारी दत्ता दुबरी बनाम पप्पू रामू, सुरेश बाबू पिता  
उम्रुदयाल कीर्त शीन निवासी  
उनापपुरा

आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप. अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206 2078 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल पप्पू रामू, सुरेश बाबू पुत्रान उम्रुदयाल  
जाति शीन निवासी उनापपुरा को  
आराजी खसरा नं. 156 रकबा 0.90 किस्म श.स.वाके वाके ग्राम उनापपुरा  
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु.  
50=00 पचासके कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनाथ लिखा लावें।  
फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या 26 पृष्ठ सि.उ. व. 50/-  
राशि कायम किये गये।  
पिबि  
त. रा. लेखाकार